2025/593

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

सरपंच ग्रा० पं० नागवा बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा 131,136 LR मु.नं. 290 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
08.08.25	प्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, नागवा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा आवेदन विषयक भूमि की किस्म परिवर्तन बाबत पेश किया गया, जिसमें प्रार्थी के आवेदन में अंकित तथ्यों के अनुसार संक्षिप्ततः निवेदन किया कि "ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा सं. 251 रकबा 0.2200 हेक्टेयर किस्म बारानी–। दर्ज रिकॉर्ड है, जो कि वर्तमान में हेतु रास्ते के उपयोग में आ रहा है। अतः उक्त खसरा की किस्म गै.मु. रास्ता दुरूस्त की जावें।" उक्त आवेदन के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1302 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसका अवलोकन किया गया। जो कि मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है। प्रकरण अ.धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा सं. 251 रकबा 0.2200 हेक्टेयर किस्म बारानी–। के स्थान पर किस्म गै.मु. रास्ता दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान जिम्मेदार होगें। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1302 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर (मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला–सीकर (राज.)) उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.11 15:14:17 IST
Reason: SelfAttested